FORM NO. III

फर्द अंहकाम

(नियम 26)

नज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **मलसीसर**

मदनसिंह वगैरह बनाम **गोविन्द सिंह वगैरह**

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अ0धारा 42 व 151 सीपीसी मु0न0 **23** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.24	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से एडवोकेट मोहम्मद रशीद खान द्वारा बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही आईन्दा दिनांक 10.07.2024 को पेश हो।	
10/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन [illegible].1 पीठासीन अधिकारी आज दिगर कार्य में [illegible]/भ्रमण/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 21/8/24 को पेश हो।	
7/8/24	वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलवी पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी गोविन्द सिंह द्वारा भूमि को बेचान किया जा रहा है। इसलिये पत्रावली को आज की तारीख पेशी में ली जाकर प्रार्थी को सुना जावे। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मिसल तलवी एवं निवेदन पर पत्रावली तलब की गई और प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 22.09.1997 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर प्रार्थी के पक्ष में डिक्री पारित की गई थी। विपक्षीगण गोविन्द सिंह द्वारा निर्णय की अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू में अपील संख्या 37/2000 की गई। अपील में माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय दिनांक 26.06.2000 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 22.09.1997 को खारिज कर दिया। अपीलीय कोर्ट के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2000 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। जिसकी सूचना प्रार्थी को मालुम होने पर प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 26.06.2000 के विरूद्व अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 पेश किया गया जो अपील संख्या 15/2004 पर दर्ज कर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.11.2004 के द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 26.06.2000 को निरस्त करते हुये अपील में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू में दिनांक 13.03.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो चुकी है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 22.09.1997 के विरूद्ध की गई अपील दिनांक 13.03.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो जाने तथा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 26.06.2000 माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2004 के द्वारा खारीज हो जाने से न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
	उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय यथावत रहा। इस प्रकार माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 26.06.2000 की पालना में राजस्व रिकार्ड में हुये बदलाव का कोई औचित्य नहीं रहा और माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2004 की पालना में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.06.2000 के पूर्व की स्थिति बहाल की जानी चाहिये थी जो कि नहीं की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 22.09.1997 के विरूद्व विचाराधीन अपील भी दिनांक 13.03.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार मलसीसर को निर्णय दिनांक 26.06.2000 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया चूंकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय के विरूद्व दायर अपील में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2000 खारिज हो चुका है तथा अपील भी दिनांक 13.03.2019 को खारिज हो चुकी है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर	